

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 206

7 वैशाख, 1934 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 27 अप्रैल, 2012

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2012

संख्या एल०जी०—01/2012—78/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[झारखण्ड अधिनियम 13, 2012]

झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम 2012 लागू करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (1) इस अधिनियम झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 कहलाएगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

- (3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएँ इस अधिनियम में यदि विषय या सन्दर्भ में कुछ असंगत नहीं है तो,— (क) "प्रवेश" प्रवेश से अभिप्रेत है दर्शक या श्रोता के रूप में प्रवेश करना तथा मनोविनोद के उद्देश्य हेतु आवासों/होटलों/क्लबों आदि स्थानों में जहाँ कोई मनोरंजन हो रहा है में किसी मनोविनोद में भाग लेने के लिए प्रवेश करना।

(ख) ''मनोविनोद / मनोरंजन पार्क'' से अभिप्रेत है वह स्थान जिसमें विविध प्रकार के मनोविनोद जैसे खेल या झूले या दोनों ही शामिल है (किंतु जिसमें सिनेमाटोग्राफी का प्रदर्शन तथा दृश्य प्रदर्शन सम्मिलित नहीं हैं) जो प्रवेश के लिए स्थायी आधार

पर पूर्ण रूप से भुगतान पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) ''एन्टिना'' से अभिप्रेत है एक यन्त्र या उपकरण या डिवाइस (संयंत्र) जो टेलिविजन के सिग्नल या अन्य इलैक्ट्रानिक सिग्नल प्राप्त करता है, जो दर्शकों के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट में सिम्मिलित प्रसारण स्वर—संगित में प्रसारण को परिचालित करता है, तथा जो तारों या अन्यों के माध्यम से टेलिविजन सिग्नल के प्रसारण के द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन या प्रचलित पिक्चर या पिक्चरों के क्रमों के लिए निर्मित एवं स्थापित किया गया है, जहाँ उपभोक्ता आवासीय या गैर आवासीय स्थानों पर टीवी को सेट करता है, जो एक केन्द्रीय प्रक्रिया जिसे हेड—एंड कहा जाता है से धातु की कोकसियल केबल या ओपटिक—फाइबर की केबल से जुड़ा होता है, जो किसी सहयोग या सदस्यता या स्थापना से संपर्क धारक द्वारा भुगतान पर तथा संपर्क शुल्क या एक्टिवेट शुल्क द्वारा या किराये या सिक्योरिटी राशि या किसी अन्य रूप में मनोरंजन साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।

(घ) " निर्धारिती" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या किसी मनोरंजन साधन का मालिक, जो किसी अन्य व्यक्ति या उपभोक्ता से मनोरंजन के लिए सदस्यता, निर्धारित शुल्क, स्पोंसरशिप शुल्क, दर शुल्क, प्रवेश शुल्क, संयुक्त शुल्क, एकमुश्त शुल्क, किराये, सिक्योरिटी राशि या अन्य रूप में भुगतान वसूल करता है तथा जो इस अधिनियम

के अंतर्गत मनोरंजन कर देने के लिए उत्तरदायी है।

(ड) "कंबल ओपरेटर" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो किसी कंबल टेलिविजन नेटवर्क द्वारा या अन्य नियंत्रणों द्वारा कंबल टीवी सेवा उपलब्ध कराता है या जो किसी कंबल टेलिविजन नेटवर्क के लिए कंबल सेवा के प्रबंधन तथा परिचालन के लिए उत्तरदायी है तथा जिसमें ऐसे उप—कंबल ऑपरेटर या कुछ एजेन्ट सम्मिलित होते हैं जो कंबल टेलिविजन नेटवर्क के आगामी वितरण के लिए मूल से सिम्बल प्राप्त करते हैं।

(च) "केबल सेवा" से अभिप्रेत है केबलों द्वारा प्रसारण या टेलिविजन सिग्नलों के किसी प्रसार प्रसारण का केबल द्वारा पुनः प्रसारण सिम्मिलित करने वाला कार्यक्रम । (छ) केबल दूरदर्शन नेटवर्क से अभिप्रेत है बहुल उपभोक्ताओं द्वारा अभिग्रहण के लिए सेवा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किए गएः अवरुद्ध प्रसारण पथ तथा सम्बद्ध सिग्नल, उत्पादन नियंत्रण तथा वितरण या प्रसारित उपकरण(णों) के किसी

सेट की प्रणाली संगत करना ।

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त या वाणिज्य-कर अपर आयुक्त जो झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत कोई अन्य अधिकारी भी सिमितित हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी या कोई अधिकार तथा कर्त्तव्य प्रदान करे।

(झ) ''मानार्थ टिकट'' से अभिप्रेत है कोई पास या प्राधिकार जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए किसी मनोरंजन में निःशुल्क या मनोरंजन के लिए भुगतान शुल्क की छूट पर प्रवेश को सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाता है।

(ञ) "समाहितकरण" से अभिप्रेत है स्थिर राशि या सकल संग्रहण क्षमता का स्थिर प्रतिशत या सकल संग्रहण या एकमुश्त भुगतान या उस निश्चित अवधि में किए गए प्रदर्शन/शो की वास्तविक संख्या पर ध्यान दिए बिना निश्चित अवधि में निश्चित की गई संख्या के लिए सहयोग के रूप में कर का भुगतान।

स्पष्टीकरण — सकल संग्रहण क्षमता या सकल संग्रहण— सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के सम्बन्ध में बैठने की कुल क्षमता के लिए सकल राशि परिकलन या थियेटर/सिनेमा हॉल/हॉल या ऐसा कोई स्थान जहाँ मनोरंजन किया जा रहा है को मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण करेगा जिसमें प्रवेश शुल्क, कर परिकलन को सिम्मिलित करेगा या धारा 3 की उप—धारा (1) के अंतर्गत या निश्चित की गई दर के आधार पर या प्राधिकार, अधिकार, सुविधा के लिए अन्य अधिशुल्क या कोई शुल्क या झारखण्ड के नगर विकास विभाग द्वारा निश्चित किए गए किसी मनोरंजन अपवर्जक व्यवस्था शुल्क के रूप में प्रवेश के अधिकार के साथ कुछ भी सिम्मिलित करने के लिए सकल संग्रहण प्राप्त करता है।

(ट) "डायरेक्ट टू होम" (डीटीएच) सेवा से अभिप्रेत है किसी केबल सेवाओं के माध्यमों का प्रयोग किए बिना उपभोक्ताओं के आवासों / होटलों / क्लबों के लिए सीधे एन्टिना या इसी प्रकार के अन्य यंत्रों से टेलिविजन सिग्नलों द्वारा सैटेलाइट प्रणाली.

के प्रयोग द्वारा बहु चैनल टेलिविजन कार्यक्रमों की कोई प्रणाली।

(ठ) "डायरेक्ट होम सेवा (डीटीएच)" सेवा से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या मालिक या एजेन्सी जो सेट टॉप बॉक्स या किसी एन्टिना या संयंत्र या उपकरण या इसी प्रकार के किसी उपकरण द्वारा डायरेक्ट होम सेवा उपलब्ध कराता है तथा जिसमें इस डीटीएच सेवा का एक्टिवेशन या नवीनीकरण भी सम्मिलित होता है।

(ड) "मनोरंजन" जिसमें कोई प्रदर्शनी, कार्य, मनोविनोद, खेल, शो या क्रीड़ाएँ शामिल होती हैं. जिनमें व्यक्ति भुगतान करने पर ही प्रवेश कर सकता है या टेलिविजन प्रदर्शनी के किसी एन्टिना की सहायता से कंबल नेटवर्क के साथ या कंबल टेलिविजन नेटवर्क या डायरेक्ट होम सेवा (डीटीएच) से इसे जोड़ता है, जिसके लिए व्यक्ति को सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना, किराये या सिक्योरिटी राशि तथा सम्पर्क शुल्क या इसी प्रकार के किसी अन्य रूप में एकत्र किए गए शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। किंतु जिसमें जादुई शो तथा अस्थायी मनोविनोद जैसे खेल तथा झूलों को शामिल नहीं किया जाता है।

इस खण्ड के प्रयोजनार्थ -

"प्रदर्शन" में विडियो प्रदर्शन के साथ सिनेमाटोग्राफ द्वारा किए गए किसी प्रदर्शन को या किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से इससे केबल नेटवर्क को जोड़ कर प्रदर्शन टेलिविजन या केबल सेवा(ओं) से प्रासांगिक केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क को सम्मिलित किया जाता है;

स्पष्टीकरण — इस उपबन्ध के प्रयोजनार्थ, प्रदर्शन में मल्टीप्लैक्स सिनेमा कॉम्पलेक्स में होने वाले प्रदर्शन सम्मिलित होंगें।

"खेल" में विडियो गेम सम्मिलित होते हैं जो मशीन के सहायता से खेले जाते हैं, जो मनोरंजन या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए विद्युत या मशीनी या विद्युत—मशीन रूप से परिचालित किये जाते हैं तथा

"अरथायी मनोविनोद" अभिव्यक्ति का अर्थ रे ऐसे मनोविनोद झूले या खेल जो मनोविनोद पार्क या मेलों या बाजारों में पूर्णतः स्थायी आधार पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

(ढ़)"मनोरंजन कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन "मनोरंजन" पर कर वसूल करना।

(ण)"सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार

(त)"माह" से अभिप्रेत है कैलेण्डर का कोई माह

(थ) "मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्पलेक्स" से अभिप्रेत है मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक केन्द्र या कोई शॉपिंग मॉल, जिसमें कुल 750 सीटों वाले कम से कम तीन थियेटर तथा इसी प्रकार की प्रासंगिक एवं संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध हों, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(द)"अधिसूचना" अर्थात् सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना।

(ध)"मनोरंजन के लिए भुगतान" में सम्मिलित हैं -

किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश के लिए किया गया भुगतान जिसके लिए मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग में जाना तथा तदनन्तर इसके किसी अन्य भाग में जाना जिसमें प्रवेश के लिए भुगतान के साथ कर भी निहित होता है; या

मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य संयोजन के लिए मान्य विवेचन (11)

हेतु कोई भुगतान।

- किसी उद्देश्य या मूल्यवान प्रतिफल से संबंधित किसी मनोरंजन के लिए कोई (iii) भुगतान जो किसी व्यक्ति को किसी मनोरंजन में प्रवेश करने के लिए जिसे मनोरंजन में शामिल करने या संगठित करने के लिए भुगतान की आवश्यक शर्तों के रूप में जोड़ा जाता है।
- किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से जोड़े गए केबल नेटवर्क से या केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क़ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा भुगतान जो टेलिविजन प्रदर्शन के लिए सहयोग, सदस्यता, किश्त, कलेक्शन शुल्क, मान्य विवेचन, या किसी अन्य शुल्क के रूप में एकत्रित किया जाता है।
- सेट टॉप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण / यंत्र या ऐसी ही (v) किसी अन्य डिवाइस जो कनेक्शन धारकों के आवासों/होटलों/क्लबों या गैर-आवासीय स्थानों पर टेलिविजन सेट को सीधे सैटेलाइट से जोड़ते हैं की सहायता से किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट टू होम सेवा के मालिक को किया गया भुगतान जो डायरेक्ट दू होम सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना या किराये या सिक्योरिटी, एक्टिवेशन शुल्कों, मूल्यवान प्रतिफल या किसी अन्य प्रकार के शुल्कों के रूप में एकत्रित किया

स्पष्टीकरण- इस उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी कॉपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, आवासीय परिसरों या फैक्ट्ररी, होटलों, लॉज, बॉर, रूम परिमट पब, के प्रबंधन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, इसके सदस्यों के लिए या कर्मचारियों या उपभोक्ताओं या स्वयं के लिए या उनके लिए इससे जुड़े केबल टेलिविजन के केबल नेटवर्क से प्रसारण को सुरक्षित करने के लिए किसी एन्टिना या ऐसे ही अन्य संयंत्र उपकरण की खरीद के लिए किया गया व्यय इस उप-खण्ड के तहत इससे जुड़े केबल नेटवर्क से किसी प्रकार के एन्टिना या किसी डीटीएच सेवा उपलब्धकर्त्ता केंबल टेलिविजन नेटवर्क की सहायता से टेलिविजन प्रदर्शन के लिए किया गया भुगतान समझा जाएगा ।

- (vi) किसी कार्यक्रम हेतु प्रायोजन या सहयोग राशि के रूप में किया गया भुगतान जो केवल आमंत्रितगणों के लिए बिना टिकट बिक्री के आयोजित किया गया है ।
- (न) "अवधि" से अभिप्रेत है 'सप्ताह' या 'माह' या 'त्रैमासिक' या 'वार्षिक' इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जब और जैसे लागू किया गया है।

(प) "व्यक्ति" सम्मिलित हैं-

- (1) व्यक्ति विशेष (2) एक संयुक्त परिवार (3) कोई कंपनी (4) कोई फर्म (5) व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हैं या नहीं (6) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार या भारत का कोई संघीय क्षेत्र (7) कोई स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार या कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया कोई प्राधिकारी:
- (फ) विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

- (ब) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है उक्त अधिसूचना में उल्लिखित क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर तथा इस नियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कृत्यों, कर्त्तव्यों एवं शक्तियों के प्रयोग एवं निर्वहन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अधीन यथा नियुक्त और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।
- (भ) "कार्यक्रम" से अभिप्रेत है:--
- (i) किसी सैटेलाइट चैनल द्वारा या विडियो कैसेट रिकॉर्डर या विडियो कैसेट प्लेयर या डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच) से फिल्म, फीचर, ड्रामा, विज्ञापन, शो, इवेन्ट तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;
- (ii) कोई श्रव्य या दृश्य या श्रव्य-दृश्य सीधा प्रदर्शन या प्रस्तुतीकरण तथा तदनुसार अभिव्यक्ति कार्यक्रम सेवा।
- (म) "मालिक / स्वत्वाधारी" से अभिप्रेत है किसी मनोरंजन के संबंध में इसका अर्थ है वह व्यक्ति
 - (i) जो इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है
 - (ii) जो किसी भी अवधि के लिए किसी भी रूप में मनोरंजन के संगठन से जुड़ा है; या
 - (iii) जिसे मनोरंजन के प्रवेश का कार्य प्रभारित, सौंपा या प्राधिकृत किया गया है; या
 - (iv) मनोरंजन प्रबंधन के लिए जिम्मेवार या तत्समय प्रभारी चाहे उसने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मनोरंजन स्थल के लिए अनुझप्ति यदि कोई हो, प्राप्त की है या नहिं;
 - (v) जिसे किसी प्रकार के एन्टिना या सहायक उपकरण या केबल टेलिविजन नेटवर्क से केबल क्नेकशन उपलब्ध कराने वाले केबल ऑपरेटर के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है तत्समय उसका प्रभारी है।
 - (vi) कोई व्यक्ति जिसमें कोई विशेष, फर्म, कंपनी, या निकाय कॉरपोरेट या कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सांझा फर्म, निर्गमण निकाय या कोई कंपनी सम्मिलित है. जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, उसे किसी मनोरंजन या बहु सिनेमा कॉम्पलेक्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है या तत्समय उसका प्रभारी है; या
 - (vii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निबंधित की गई सरकारी एजेन्सियों या ऐसी ही किन्हीं कंपनियों द्वारा सम्मिलित किया गया कोई व्यक्ति जिसके पास भारत सरकार द्वारा भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1985 की धारा 4 तथा भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ अधिनियम, 1933 के तहत डायरेक्ट (डीटीएच) प्रसार सेवा उपलब्ध करवाने का लाइसेंस है।

(कक) "त्रैमासिक" से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तथा 31 मार्च को होने वाली त्रैमासिक समाप्ति ।

- (कख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है वह अनुसूची जो मनोरंजन(नों) के लिए कर की दर(रों) को विनिर्दिष्ट करती है तथा जो इस अधिनियम के साथ संलग्न है ।
 - (कग) "सीट" स्थायी समायोजन को सम्मिलित करता है
- (कघ) "सेट टॉप बॉक्स" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यंत्र या उपकरण जो आवासीय या गैर आवासीय परिसरों या आवासीय परिसरों जैसे स्थानों पर टेलिविजन से जोड़ा जाता है, जो सीधे सैटेलाइट सें डिश एन्टिना द्वारा कूट किए गए/एन्क्रीप्टिड टेलिविजन सिग्लन प्राप्त करता है तथा टेलिविजन सेट को अगुप्त/डिविरप्टिड

टेलिविजन सिग्नल उपलब्ध कराता है, जो दर्शकों को भुगतान पर बहु चैनल टेलिविजन कार्यक्रम चलाने में सक्षम बनाता है।

स्पष्टीकरण— इस उप—खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी कॉपरेटिय हाऊसिंग सोसाइटी, आवासीय परिसरों या फैक्ट्री, होटलों, लॉज, बॉर, रूम परिमट पब, के प्रबंधन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, इसके सदस्यों के लिए या कर्मचारियों या उपभोक्ताओं या स्वयं के लिए या उनके लिए इससे जुड़े केबल टेलियिजन के केबल नेटवर्क से प्रसारण को सुरिक्षित करने के लिए किसी एन्टिना या ऐसे ही अन्य संयंत्र उपकरण की खरीद के लिए किया गया व्यय इस उप—खण्ड के तहत इससे जुड़े केबल नेटवर्क से किसी प्रकार के एन्टिना या किसी डीटीएच सेवा उपलब्धकर्त्ता केबल टेलियिजन नेटवर्क की सहायता से टेलियिजन प्रदर्शन के लिए किया गया भुगतान समझा जाएगा।

- (कड.) "स्पोंसरशिप राशि" से अभिप्रेत है वह राशि (या आपूर्त्ति किए गए माल का मूल्य या प्रस्तुत की गई सेवाएँ या उपलब्ध कराए गए लाभ) जो स्पोंसरकर्त्ता द्वारा स्पोंसरकर्त्ता के उत्पाद या शो या इवेन्ट या उसके उत्पाद के नाम का विज्ञापन करने के लिए किसी मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन कर्त्ता को दी जाती है।
 - (कच) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
- (कछ) "उपभोक्ता" वह व्यक्ति जो केबल टेलिविजन नेटवर्क के प्रयोजनार्थ या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा या किसी मनोरंजन योजना के तहत टेलिविजन सिग्नल प्राप्त करता है।
- (कज) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत वसूल किया गया 'मनोरंजन कर'।
- (कझ) "टिकट" या "अवधि टिकट" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को प्रवेश के लिए या व्यक्तियों को किसी मनोरंजन के लिए मालिक द्वारा जारी की गई टिकट।
- (कञ) "न्यायाधिकरण / ट्रिब्यूनल" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम — 2005 की धारा 3 के अधीन न्यायाधिकरण / ट्रिब्यूनल संवैधानिक किया गया ।
- (कट) "मान्य चिंतन" से अभिप्रेत है किसी नकद या विलम्बित भुगतान तथा जिसमें मनोरंजन के लिए भुगतान भी शामिल है—
- (i) किसी व्यक्ति द्वारा टेलिविजन प्रदर्शन के लिए इसे किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से जोड़े गए केबल नेटवर्क से या केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क के लिए दी गई सहयोग राशि, सदस्यता, किराया, या सिक्योरिटी, या स्थापना क्लेकशन शुल्क, या ऐसे ही किसी अन्य शुल्क के रूप में एकत्रित किया जाता है।
- (ii) सेट टॉप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण / यंत्र या ऐसी ही किसी अन्य डिवाइस जो क्नेकशनों धारकों के अवासों / होटलों / क्लबों या गैर—आवासी स्थानों पर टेलिविजन सेट को सीधे सैटेलाइट से जोड़ते हैं की सहायता से डायरेक्ट टू होम प्रसार सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसार सेवा के मालिक को दी गई सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना या किराये या सिक्योरिटी, एक्टिवेशन शुल्कों, कनेक्शन शुल्कों या इसी प्रकार के अन्य शुल्कों के रूप में एकत्रित किया जाता है।

परन्तु इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की संख्या, उपभोक्ताओं के नाम व पते, उपभोक्ता द्वारा किए गए प्रत्येक महीने के भुगतान, उपभोक्ता को प्रदर्शित किए गए चैनलों की संख्या तथा किसी भी रूप में एकत्र किए गए कनेक्शन शुल्कों को दर्शाएगा।

- (कट) "सप्ताह" से अभिप्रेत है वह दिन जो बुधवार से आरंभ होता है ।
- (कड) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपिरभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वह होंगे जो सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियम) अधिनियम 1995, प्रसार भारती (भारतीय प्रसार निगम) अधिनियम, 1990, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1995, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ अधिनियम, 1933, तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए/जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. मनोरंजन कर का प्रभार — (1) उप—धारा (2), में यथा निबंधित के सिवाय, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत् जारी की गई अधि नुचना में यथा विनिर्दिष्ट दर(रों) पर मनोरंजन कर राज्य सरकार को जमा तथा भुगतान किया जाएगा।

परन्तु राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए तथा विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के लिए मनोरंजन की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में मनोरंजन कर की विभिन्न दर या दरों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

परन्तु यह और कि मनोरंजन कर की दर सकल संग्रहणमूल्यों / प्रवेश शुल्क(कों) / सदस्यता(ओं) / सहयोग(गों) / किराया / सिक्योरिटी / स्पोंसरशिप / एक्टिवेशन शुल्कों या किसी अन्य प्राप्त किए गए मूल्यवान प्रतिफल द्वारा या मनोरंजन उपलब्ध करवाने के लिए प्राप्त करने योग्य के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) उप—धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुसूचि में उल्लेखित संयोजित दर(रों) पर किसी मनोरंजन के मालिक से सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के संबंध में मनोरंजन कर वसूल किया जाएगा।

परन्तु कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अवधियों तथा विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में कर की विभिन्न दर या दरों को सुनिश्चित कर सकती है।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्पलेक्सों की पृथक इकाइयों के संबंध में उनकी बैठने की क्षमता के आधार पर विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

- 4. मनोरंजन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से मनोरंजन कर संग्रहण करने वाला निर्धारिती— इस अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक निर्धारिती मनोरंजनों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से टिकटों के मूल्यवान प्रतिफल या सम्मानार्थ टिकट स्पोंसरशिप राशि के बराबर राशि संग्रहण का हक्दार होगा।
- 5. कर का भुगतान इस अधिनियम के उपबंधों तथा यथा विहित नियमों के अधीन निम्नलिखित प्रकार के मनोरंजनों के लिएं प्रत्येक निर्धारिती द्वारा मनोरंजन कर देय होगा

धारा की उप—धारा (2) के अधीन आने वाले सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के लिए. (i) सप्ताह के प्रारम्भ होने के पूर्व,

अनुसूची की क्रम संख्या 2 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के (ii) अधीन आने वाले विडिओ प्रदर्शन के लिए, माह प्रारम्भ होने के पूर्व,

अनुसूची की क्रम संख्या 3 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के (iii) अधीन आने वाले मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्प्लेक्स प्रदर्शन के लिए, सप्ताह प्रारम्भ होने के पूर्व,

धारा 2 के खण्ड (x) एवं (कघ) के अधीन आने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों के (iv)

लिए, ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रारम्भ होने के पूर्व,

संबंधित माह की समाप्ति के बाद माह के 7वें दिन तक अनुसूची की क्रम (v) संख्या 4, 5 एवं 6 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन आने वाले केबल ऑपरेटर, ऑपरेटिंग केबल टेलिविजन नेटवर्क तथा डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदानकर्त्ता तथा मनोरंजन के अन्य विवरणों के लिए । स्पष्टीकरण : यदि विनिर्दिष्ट दिन को कोई अवकाश होता है, तो उससे अगला कार्यदिवस भुगतान दिवस होगा।

मनोरंजन के मालिक / स्वत्वाधारी का निबंधन- (1) इस अधिनियम के अधीन 6. मनोरंजन कर भुगतान करने के दायी किसी किसी मनोरंजन का कोई निर्धारिती / स्वत्वाधारी तब तक कोई मनोरंजन संचालित नहीं करेगा जबतक कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित रीति से निबंधन कराकर उसका प्रमाण-पत्र धारण न ले।

(2) निबंधित होने के लिए उप धारा (1) द्वारा प्रत्येक निर्धारिती स्वत्वाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह विहित प्राधिकारी को निर्धारित रीति से इसके

निमित एक आवेदन पत्र दे।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित किया गया प्राधिकरण यदि संतुष्ट है कि आवेदन पत्र क्रम में है तो वह प्रार्थी को निबंधित करेगा तथा उसे निर्धारित किए गए फार्म में निबंधन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) जब किसी मनोरंजन का निर्धारिती / स्वत्वधारी जिसे उप-धारा (3) के तहत इसके लिए निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया गया है एक निर्धारिती/ स्वत्वधारी के रूप में अपने व्यवसाय को रोकता या बंद करता है तो निर्धारित किया गया प्राधिकरण समापन की उसी तिथि से पंजीकरण रद कर देगा ।

सिक्योरिटी - (1) विहित नियमों के अध्यधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किसी मनोरंजन के निर्धारिती / मालिक से प्रतिभूति की राशि जमा करने की अपेक्षा की जाती है जो प्रदर्शनों की संख्या के संबंध में यथा संगणित पूर्ण पखवाड़ों के लिए प्रभार्य कुल मनोरंजन कर से अनधिक हो,

(i) यदि आवश्यक समझा गया तो सिक्योरिटी राशि समय-समय पर घटाई-बढाई जा सकती है।

(ii) यदि प्रवेश के संबंध में कर के भुगतान की रसीद के साथ विवरणी को निश्चित तिथि पर जमा नही जाता है या यदि विवरणी अनुचित या गलत पायी जाती है तो प्रतिभूति या इसका कुछ भाग काट लिया जाएगा ।

(iii) चुक होने पर बकाया या शास्ति, यदि कोई हो, तो मनोरंजन कर की बकाया राशि का समायोजन प्रतिभूति की राशि से कर लिया जायेगा और निर्धारिती / स्वत्वाधारी को निदेश दिया जाएगा कि वह अगला पखवाड़ा के लिए देय कर से पहले प्रतिभृति की राशि को पूरा कर दे ।

.मनोरंजन में प्रवेश - (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मनोरंजन से जुड़े कर्त्तव्य संपादन करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम या कोई अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा शुल्क अधिरोपित किया गया हो, से भिन्न कोई व्यक्ति टिकट या सम्मानार्थ टिकट के बिना किसी ऐसे मनोरंजन में प्रवेश नहीं करेगा जिस पर धारा 3 के अधीन मनोरंजन कर भुगतेय हैं।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना

प्रकाशित कर मनोरंजन स्थल विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) उप-धारा (1) या (2) में अंतर्विष्ट कोई बात वहाँ लागू नही होगी जहाँ मनोरंजन में प्रवेश इस अधिनियम के अधीन राजस्व के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त योगिक उपाय से विनियमित किया जाता है।

कर के भुगतान से मुक्त किए गए मनोरंजन- राज्य सरकार ऐसी शर्तो तथा प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसे किसी मनोरंजन को मनोरंजन कर की उगाही तथा भुगतान से मुक्त कर सकती है, जहाँ उसका समाधान हो जाता है-

क) कि मनोरंजन का सकल लाभ मनोरंजन के किसी खर्च हेतु ऐसे लाभ पर कोई प्रभार के साथ या बिना लोकोपकार, धार्मिक या दातव्य प्रयोजनों के

लिए समर्पित है: या

(ख) कि मनोरंजन सम्पूर्ण शैक्षिक रूपवाला हो या

(ग) कि मनोरंजन उपलब्ध है उन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है जो आंशिक रूप से शैक्षिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक है, जो किसी व्यक्ति द्वारा मूल्यवान

प्रतिफल के लिए आयोजित या स्थापित नहीं किए गए हैं; या

(घ) ऐसी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया मनोरंजन, जो लाम के लिए संचालित नहीं की जाती है तथा जिसकी स्थापना केवल लोक स्वास्थ्य या कृषि हेतु या विनिर्माण उद्योग के प्रयोजनार्थ की गयी है और केवल ऐसी सामग्री का प्रदर्शन करती है जो लोक स्वास्थ्य या कृषि या उद्योग उत्पाद से जुड़ी हो अथवा उन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, मशीनरी, उपकरण या खद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रदर्शन करती है।

(ड) कि यह मनोरंजन ऐसे किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया गया

है जिसे राज्य सरकार जनहित के लिए उचित समझती है।

अनुसूचियों में संशोधन करने की सरकार की शक्तियाँ-राज्य सरकार अनुसूची 10. में यथा विनिर्दिष्ट दर(रों) की अधिसूचना द्वारा जोड़, निकाल, संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।

मनोरंजन का समय तथा उसके लिए भुगतान की दर तालिका का सहज 11. दृश्य स्थान पर प्रदर्शनः-मनोरंजन की निर्धारिती/स्वत्वाधारी मनोरंजन प्रारंभ एवं समाप्त होने के समय और उसके अस्थायी स्थगन एवं बंद होने की संसूचना विहित रीति से विहित पदाधिकारी को देगा तथा परिसर के सहज दृश्य स्थल पर भुगतान की दरों एवं ऐसे भुगतानों पर देय मनोरंजन कर की राशि को प्रदर्शित करेगा ।

मनोरंजन को प्रस्तुत करना तथा मनोरंजन कर की वसूली -

(1) किसी मनोरंजन का प्रत्येक निर्धारिती / मालिक यथा विहित तिथि को तथा यथा विहित प्राधिकारी को सही संपूर्ण तथा उचित विवरणी देगा।

(2) यदि निर्धारित तिथि को कोई निर्धारिती / मालिक विवरणी देने में असफल होता है तो विहित प्राधिकारी उस पर तय तिथि के बाद जुर्माना लगा सकती है जो 20 रुपए प्रतिदिन से अधिक नही होगा।

(3) उप-धारा(1) द्वारा अपेक्षित विवरणी देने के पहले निर्धारिती/स्वत्वाधारी कर की पूरी राशि विहित रीति से सरकारी कोषागार में भुगतान करेगा तथा

कोषागार प्राप्ति को विवरणी के साथ संलग्न कर देगा।

(4) जहाँ निर्धारिती / स्वत्वाधारी उप-धारा (1) के अधीन दी गई विवरणी के अनुसार देय मनोरंजन कर का भुगतान विहित अवधि तक नहीं कर पाता है तो विहित प्राधिकारी धारा 24 की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन की गई या की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारिती / स्वत्वाधारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो प्रथम तीन माह या उसके बाद आने वाले किसी भाग के लिए कर की राशि का तीन प्रतिषत तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती माह या उसके किसी भाग के लिए छः प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है।

(5) उप—धारा (2),(5) व (6) के तहत कोई शास्ति किसी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 24 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।

(6) कर या जुर्माने की कोई राशि जो इस अधिनियम के तहत बिना भुगतान के शेष बची है या धारा 3 के तहत किसी भुगतान के लिए अपेक्षित राशि जो देय तिथि के बाद बिना भुगतान के शेष रहती है वो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(7) जब किसी मनोरंजन का स्वामित्व सम्पूर्ण हस्तांतरित किया गया है तो हस्तांतरिती मनोरंजन के संबंध में ऐसे कर तथा जुर्माना भुगतान के लिए दायी होगा जो हस्तांतरण की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है तथा हस्तांतरिती हस्तांतरण के तीस दिनों के भीतर धारा—6 के अधीन निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

13. कर निर्धारण— (1) निर्धारिती / मालिक द्वारा देय करों को निर्धारण लेखों या रिजस्टरों तथा अन्य साक्ष्य जो विहित प्राधिकारी के लिए आवश्यक हो सकते हैं के परीक्षण के बाद ही किया जाएगा।

(2) यदि निर्धारिती / मालिक कोई विवरणी नहीं भरता है या निर्धारण के लिए लेखा उपस्थित करने में असफल होता है तो उप—धारा (1) के तहत आवश्यक है, तो विहित प्राधिकारी निर्धारिती / मालिक को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से उस निर्धारिती / मालिक द्वारा देय कर की राशि को निर्धारित कर सकता है।

(3) यदि निर्धारण कार्यवाही के दौरान या निर्धारण के पूर्व विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती / स्वत्यधारी ने मानार्थ टिकटों सहित टिकटों की बिक्री की विशिष्टयाँ अथवा मनोरंजन कर की वसूली को छिपाया है अथवा को घोखा देने के लिए राजस्व के संबंध में ऐसी बिक्री या वसूली की गलत विवरणियाँ दी है तो विहित प्राधिकारी मनोरंजन कर एवं शास्ति, यदि निर्धारिती / स्वत्यधारी द्वारा भुगतेय हैं, की राशि के अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देगा जो ऐसे कर की राशि का डेढ़ गुना से अनिधक होगी जिसे छिपाकर बचाया गया था या जिसे सच्चाई के रूप में स्वीकार किया गया था।

(4) यदि अधिकार क्षेत्र से प्राप्त सूचना पर विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती / स्वत्याधारी किसी अविध के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत कर भुगतान के लिए जिम्मेदार है तथा फिर भी धारा 6 के तहत निबंधन के लिए आवेदन नहीं किया है या उचित समय में निबंधन की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल हुआ है, तथा जिसके चलते उसके निबंधन को रद्द किया गया है तो विहित प्राधिकारी इसके लिए निर्धारिती / मालिक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद उस अविध के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कर की राशि निर्धारित करेगा तथा जुर्माना भी अधिरोपित करेगा जो निर्धारित कर की राशि के बराबर होगा।

14. छोड़ दिया गया कर निर्धारण और लेखा परीक्षा संक्षेपण:—
(1) यदि अपने विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अवधि के संबंध में निर्धारिती/स्वत्वाधारी को प्रवेश के लिए भुगतान किसी कारण से निर्धारण में छूट गया है अथवा धारा 13 की उप—धारा(1) के अधीन किए गए निर्धारण में किसी ऐसे व्यक्ति या निर्धारिती/स्वत्वाधारी द्वारा प्रवेश के लिए कोई भुगतान का निर्धारण नहीं किया गया है तो विहित प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती/स्वत्वाधारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे अवधि—अवसान के आठ वर्षों के भीतर ऐसे

निर्धारिती / स्वत्वाधारी द्वारा भुगतेय कर के पुनःनिर्धारण का लिखित आदेश

परन्तु यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा निर्धारिती/ स्वत्याधारी ने जानबूझकर ऐसे प्रवेषार्थ भुगतान की विशिष्टियों को छिपाया है, विलोप किया है या प्रकट नहीं किया है अथवा गलत विशिष्टियाँ दी है जिसके चलते विवरणी में दिए गए आँकड़े वास्तविक राशि से कम है तो विहित प्राधिकारी धारा 24 के अधीन की गयी या की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती/ स्वत्याधारी को निदेश देगा कि वह छोड़े गये प्रवेशार्थ भुगतान की राशि पर निर्धारित कर की राशि के तिगुना से अनधिक किन्तु उसके बराबर से अन्यून राशि का भुगतान शास्ति के रूप में करे।

(2) जहाँ किए गए निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सम्प्रेक्षण किया गया है तथा उक्त सम्प्रेक्षण से विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है वहाँ वह यथास्थिति, उस निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में जिसका सम्प्रेक्षण किया गया है, पुनः निर्धारण करने की कार्यवाही शुरू करेगा।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश निर्धारती को सुने जाने का

अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जायेगा।

15. वसूली की विशेष रीति—(1) धारा 12 या किसी विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लिखित सूचना द्वारा जिसकी प्रति स्वत्वाधारी के अंतिम ज्ञान पता पर भेजी जायेगी, निम्नलिखित अपेक्षा की जोयगी—

(क) कोई व्यक्ति जिस पर कोई धन बकाया है अथवा नियत तारीख तक स्वत्वाधारी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण बकाया रह गया है तो उसे तामील की जाने वाली नियत राशि अथवा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जिसके द्वारा भुगतेय मनोरंजन कर या

शास्ति या दोनों की राशि, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो स्वत्वाधारी के निमित्त या उसके कारण कोई धन रोक रखा हो या बाद में रोकता है वह इस उप—धारा के अधीन निर्गत नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति से सरकारी कोषागार में या तो तत्काल या धन बकाया होने पर नोटिस में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर (धन बकाया होने या रोकने के पूर्व नहीं) उतनी पर्याप्त राशि का भुगतान करे जो धारा 3 की उप—धारा (4) के अधीन भुगतान के लिए नियत की गयी है अथवा मनोरंजन कर की बकाया राशि या शास्ति या पूरा धन, चाहे वह उस धन के बराबर या उससे कम हो भुगतान करे।

(2) प्राधिकरण उप-धारा (1) अधीन किसी भी समय या समय-समय सूचना जारी कर, किसी सूचना को संशोधन या रद्द कर सकता है या सूचना के अनुपालन में किसी भुगतान के लिए समय का विस्तार कर सकता है।

(3) कोई व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के पालन में भुगतान कर रहा है तो वह मालिक के प्राधिकारी के अधीन किए गए भुगतान के रूप में माना जाएगा, तथा सरकारी कोष से प्राप्त प्राप्ति में निश्चित की

गई राशि से मुक्त हो जायेगा।

(4) स्वत्वाधारी को देनदारी चुकाने वाला कोई व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन निर्गत नोटिस तामिल होने के पश्चात् चुकायी गयी देनदारी तक अथवा धारा 3 की उप—धारा (2) के अधीन भुगतान की जाने वाली नियत राशि तक अथवा मनोरंजन कर या शास्ति या दोनों जो भी कम हो के लिए राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(5) जहाँ कोई व्यक्ति जिसे उप धारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई है, नोटिंस निर्गत करने वाले प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि माँगा गया धन या उसका कोई अंश स्वत्वाधारी के पास बकाया नहीं था अथवा नोटिस तामिल होने के समय वह स्वत्वाधारी के निमित्त या किसी और से कोई धन नहीं रखा था और न हीं मांगा गया धन या स्वत्वाधारी के पास बकाया होने वाला उसका कोई अंश वह रखा है तो इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह यथास्थिति, ऐसा धन या उसका कोई अंश सरकारी कोषागार में जमा करे।

(6) किसी धन की राशि जो उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से भुगतान की अपेक्षा की जाती है या उसका भुगतान नहीं करता है तो वह भूमि राजस्व

के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(7) यदि स्वत्याधारी द्वारा धारा 7 के अधीन अपील करने पर धारा 12 की उप-धारा (8) के परन्तुक के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वसूली स्थगित कर दी गई है तो मनोरंजन कर या शास्ति या दोनों की किसी रकम के

संबंध में इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नही की जाएगी।

16. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 का 06) एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का लागू होना — इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए अन्य उपबन्धों के अध्यधीन झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 का 06) के अधीन डीलर द्वारा भुगतेय कर, ब्याज एवं शास्ति के भुगतान के निर्धारण, पुनर्निधारण, संग्रहण एवं प्रवर्तन करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ वह विवरणी, निर्धारण, छोड़ दिया गया निर्धारण, सीमांकन, कर की वसूली, बकाया कर एवं शास्तियों के भुगतान हेतु किस्तों की मंजूरी से संबंधित उपबंधों सिंहत उक्त अधिनियम एवं तत्समय प्रवृत्त एतद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा समनुदेशित सभी या किसी शास्ति का प्रयोग करेगा तथा ब्याज एवं शास्ति, वूसली का विशेष तरीका, लेखा संधारण, निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण, प्रतिनिधि के हैसियत से देनदारी, वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, अपराध प्रशमन एवं अन्य प्रकीर्ण मामलों से संबंधित निरसित अधिनियम के उपबंध और उक्त अधिनियम के उपबंध के तदनुसार यथावश्यक परिवर्तन सिंहत लागू होंगे।

17. कितपय मामलों में कर वापसी— जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है मनोरंजन का शुद्ध आय. धार्मिक या लोकोपकारी दात्तव्य उद्देश्यों के लिए समर्पित है तथा शुद्ध आय कि गणना में मनोरंजन खर्च के कारण सकल लाभ का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं काटा गया है तो मनोरंजन के संबंध में भुगतान किया गया मनोरंजन कर की राशि निर्धारिती/मालिक को वापस कर

दी जाएगी।

18. मनोरंजन स्थलों में प्रवेश एवं उसका निरीक्षण— (1) (क) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पदाधिकारी इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को देखने के प्रयोजन से मनोरंजन चलने के दौरान अथवा मनारेजन स्थल के रूप में प्रयुक्त किसी स्थल में किसी समुचित समय पर प्रवेश निरीक्षण एवं तलाषी कर सकते हैं।

(ख) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का

XLV) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

(ग) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे स्थलों में प्रवेश कर सकता है जहां मनोरंजन कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए टिकट या उसकी अधकटी रखी जाती है अथवा मनोरंजन से संबंधित लेखा, रजिस्टर या अन्य कागजात रखे या संधारित किए जाते हैं तथा सुनिश्चित समय पर ऐसे स्थल या कार्यालय या किसी बॉक्स या पात्र की तलाशी कर सकता है जिसमें टिकट अधिकारी, लेखा, रजिस्टिर या अन्य कागजात रखें जाते हैं तथा उसका निरीक्षण कर सकता है, यदि, उसे यह संदेह करने का कारण दिखाई पड़ता

है कि कर भुगतान में अपवंचन किया गया है या किये जाने का प्रयत्न किया गया है तो वह कारण को अभिलिखित करते हुए ऐसे टिकटों, अधिकारियों, लेखाओं, रजिस्टरों एवं अन्य कागजात का अभिग्रहण कर सकता है तथा उसके लिए प्राप्ति रसीद प्रदान करेगा तथा ऐसे अभिगृहित टिकटों, अधिकारियों, लेखाओं, रजिस्टरों एवं अन्य कागजात को तब तक रोक रखेगा जब तक उसके परीक्षण या अभियोजन के लिए आवश्यक है और उसके पश्चात उन्हें निर्धारिती / स्वत्वाधारी को वापस कर देगा।

(घ) यदि कोई निर्धारिती / स्वत्वाधारी या जो कोई उक्त परिसर में व्यवसाय करता है किसी दरवाजे या बॉक्स या पात्र जिसमें टिकट, प्रति पर्णक, रिजस्टर या अन्य संबंधित दस्तावेज रखे गये हैं को खोलने में असमर्थता दिखा रहा है या खोलने से मना करता है तो अधिकारी के पास किसी बाक्स या पात्र को जिसमें मनोरंजन से संबंधित टिकट,प्रति पर्णक, रिजस्टर या अन्य संबंधित दस्तावेज है या किसी परिसर के दरवाजे को तोड़ने का अधिकार रखता है।

(2) प्रत्येक मनोरंजन का निर्धारिती / मालिक या यह व्यक्ति जो मनोरंजन स्थल के रूप में प्रयुक्त किसी स्थल का प्रभारी है वह इस उप—धारा (1) के तहत निरीक्षण अधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहण में उचित सहयोग देगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या बाधा डालता है तो वह तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के तहत दायी सजा के अतिरिक्त दण्ड का अधिकारी होगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो बढकर 2000 रुपए भी हो सकता है।

19. लेखा एवं कागजात की प्रस्तुति एवं निरीक्षण — (1) यथाविहित नियमों के अध्यधीन विहित प्राधिकार निर्धारण के पूर्व या पश्चात् किसी निर्धारिती / स्वत्वाधारी से यह अपेक्षा करता है कि वह उसके समक्ष फिल्मों के निर्माता या वितरक के साथ सम्व्यवहार, मानार्थ टिकटों सिहत टिकटों का मुद्रण, मानार्थ टिकटों सिहत टिकटों की बिक्री, प्रवेश या मनोरंजन कर के लिए भुगतान की वसूली, मनोरंजन कार्यक्रम से प्राप्त लाभ सिहत वित्तीय सम्व्यवहार से संबंधित किसी जानकारी के लिए कोई लेखा, रिजस्टर या कागजात प्रस्तुत करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, तो निर्धारिती / स्वत्वाधारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) उप—धारा (1) में उल्लेखित सभी लेखा, रिजस्टर, कागजात उचित समय पर विहित प्राधिकार द्वारा निरीक्षण करने के लिए खुले रहेंगे, प्राधिकार यदि आवश्यक समझे तो ऐसे लेखा, रिजस्टर या कागजात के उद्धरणों की प्रति ले सकता है या उसकी प्रति करवा सकता है।

20. कर के संग्रहण पर प्रतिबंध — (1) कोई भी वह व्यक्ति जिसने धारा 6 की उपधारा (3) के तहत निबंधन का प्रमाण—पत्र ग्रहण नहीं किया गया है, वह किसी मनोरंजन में प्रवेश पर लगाए गए कर के लिए किसी भी नाम या विवरण से कोई भी राशि एकत्र नहीं करेगा।

(2) कोई भी निर्धारिती / स्वत्याधारी ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें वह धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो, किसी भी व्यक्ति से ऐसी रकम एकत्र नहीं करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति या निबंधित निर्धारिती / स्वत्याधारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकार उसे सुने जाने का अवसर देने के बाद लिखित आदेश द्वारा उसे निदेश देगा कि वह उक्त उप—धारा (1) व (2) के उपबन्धों के उल्लंघन से एकत्र राशि से दुगूनी राशि शास्ति के रूप में भुगृतान करे।

- 21. अधिकारिता का वर्जन—धारा 22 में यथाउपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- 22. उच्च न्यायालय में मामले का कथन —(1) न्यायाधिकरण द्वारा अपील के अधीन कोई आदेष पारित करने के नब्बे दिनों के भीतर पारित आदेश के संबंध में निर्धारिती या आयुक्त एक हजार रुपए के शुल्क के साथ लिखित आवेदन करेगा, जहाँ ऐसा आवेदन निर्धारिती द्वारा किया गया है वह ऐसा आदेश के विरुद्ध उठाया गया विधि का कोई प्रश्न उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करे।
 - (2) कारणों को अभिलिखित करते हुए न्यायाधिकरण ऐसा निर्देश करने से इन्कार कर सकता है, ऐसी परिस्थित में आवेदक ऐसे आदेश के 45 दिनों के भीतर, या तो—
 - (क) अपना आवेदन वापस ले सकता है। यदि आवेदक ऐसा करता है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया है शुल्क वापस कर दिया जायेगा; अथवा (ख) ऐसे इन्कार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
 - (3) उप—धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेवन प्राप्त होने पर यदि उच्च न्यायालय का समाधान नहीं होता है कि ऐसा इन्कार न्यायोचित था तो न्यायाधिकरण से अपेक्षा की जायेगी कि वह मामले का कथन करे तथा इसे उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट करे तथा ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण तदनुसार मामले को निर्दिष्ट करेगा।
 - (4) यदि उच्च न्यायालय का समाधान नहीं होता है कि इस धारा के अधीन निर्दिष्ट मामले का कथन उसमें उठाया गया प्रश्न को निर्धारित करने में सक्षम है तो वह मामले को उसमें ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस निर्दिष्ट करेगा जैसा कि न्यायालय इस निमित निदेश दे।
 - (5) उच्च न्यायालय मामले पर सुनवाई करने के पश्चात उठाए गए विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा कि और जिन आधारों पर विनिश्चय किया गया है उनको अंतर्विष्ट करते हुए अपना निर्णय देगा तथा न्यायालय की मुहर एवं निबंधक के हस्ताक्षर की हुई निर्णय की प्रति न्यायाधिकरण को भेजेगा और न्यायाधिकरण निर्णय के अनुरूप अपने आदेश में संशोधन करेगा।
 - (6) जहां इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट किया गया है तो उप—धारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क का निबटारा सहित न्यायालय के विवेकाधीन होगा।
 - (7) न्यायाधिकरण के उस निदेश के अनुसार, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन आवेदन किया गया हो बकाया शास्ति, यदि कोई हो, सहित कर की रकम का भुगतान ऐसे आवेदन या किए गए निर्देश के लंबित रहने के चलते स्थिगित नहीं किया जायेगा।
 - (8) न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन कोई आवेदन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वीकार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट है कि आवेदन पत्र समय से प्रस्तुत न कर पाने के लिए प्रार्थी के पास उचित कारण है।
- (23) लाभ के लिए टिकटों या मानार्थ टिकटों की पुनः बिक्री का प्रतिषेध—भारतीय सुखचार अधिनियम, 1882 की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा टिकट या मानार्थ टिकट की पुनः बिक्री नहीं की जाएगी।
- (24) अपराध या शास्तियाँ—(1) यदि किसीं मनोरंजन का कोई निर्धारिती या स्वत्वाधारी:— (क) धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए मनोरंजन के किसी स्थान हेतु

भगतान के लिए प्रवेश किया है; या

(ख) विहित समय के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं करता है; या

(ग) इस अधिनियम के तहत बकाया किसी कर का भुगतान कपटपूर्वक अपवंचित रुप से

(घ) धारा 18 या 19 के तहत निरीक्षण पर आए किसी अधिकारी को जाँच या अभिग्रहण प्रक्रिया में विघ्न डालता है।

(ड.) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों, किसी अन्य उपबंध अथवा ऐसे निबंधों या नियमों के अधीन दिए गए आदेश या निदेश का उल्लंघन करता है तो वह तीन माह से अन्यून किन्तु छः माह से अनधिक अवधि तक कठोर कारावास एवं 1000 तक की शास्ति से दंडनीय होगा।

परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में (अधिनियम II, 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उप-धारा के खण्ड (क), (ख) तथा (ड) में यथा वर्णित सभी अपराध संज्ञेय होगें तथा इस उप-धारा के खण्ड (ग), एवं (घ) में वर्णित सभी अपराध संझेय एवं गैर-जमानती होगें।

(2) यदि मनोरंजन के निर्धारिती / स्वत्याधारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति धारा 23 के उपबंध

का उल्लंघन करता है तो वह 1000 रुपए तक के जुर्माना से दंडित होगा।

(3) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के विरूद्ध कोई भी न्यायालय विहित प्राधिकार की पूर्वानुमित के बिना संज्ञान नहीं लेगा तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से निम्नतर कोई न्यायालय ऐसे अपराधों का विचारणा नहीं करेगा।

25. अपराध शमन की शक्ति— (1) विहित प्राधिकारी धारा 24 के अधीन कार्यवाही चलाने के पूर्व या इसके पश्चात् उक्त धारा की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन अपराध करने वाला या किए जाने के लिए उचित रूप में संदिग्ध व्यक्ति का अपराध निम्नलिखित रूप में शमन

(क) जहाँ अपराध इस अधिनियम के अधीन भुगतेय किसी कर के भुगतान नहीं करने या उसका अपवंचन से संबंधित है वहाँ भुगतेय कर की रकम से दुगुना से अनधिक राशि

(ख) अन्य मामलों में दो हजार रूपये से अनधिक राशि स्वीकार कर।

(2) उप धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकार द्वारा यथा निर्धारित राशि के भुगतान करने पर विहित प्राधिकार जहां आवश्यक है वहां न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अपराध का शमन हो चुका है तथा इसके पश्चात् धारा 12 के अधीन उसी अपराध के लिए अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

26. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन - (1) इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने से तात्पर्यित किसी कार्रवाई के लिए किसी पदाधिकारी या सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई भी

अभियोजन राज्य सरकार की पूर्वानुमित के बिना नहीं लाया जायेगा।

(2) कोई पदाधिकारी या सरकारी सेवक ऐसी कार्रवाई के लिए किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही का भागी नहीं होगा. यदि ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहण के दौरान की गई है।

27. नियमावली बनाने की शक्ति— (1) इस नियम के सभी या किसी प्रयोजन के निष्पादन

के लिए सरकार अधिसूचना द्वारा नियमांवली बना सकती है।

(2) विशिष्टियां एवं पूर्वेगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में इस अधिनियम के अधीन किए जाने वाले आवेदन, आपूरित फारम, प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र तथा पुनरीक्षणार्थ की जाने वाली अपील एवं आवेदन निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन बकाया करों एवं शास्तियों के भुगतान के लिए किस्तों की मंजूरी तथा इस अधिनियम के अधीन दाखिल कागजात या किए गए आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में भुगतेय शुल्कों का उपबंध होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के छः माह के भीतर राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में है। एवं यदि सत्र में नहीं हो तो ठीक अनुवर्ती सत्र में कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सके, रखा जायेगा तथा यदि उस सत्र के, जिसमें इसे रखा गया है या ठीक अनुवर्ती

सत्र के सत्रावसान होने के पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण या बातिलीकरण करने के लिए सहमत हो जातीं है तो यह नियम उपांतरण या बातिलीकरण अधिसूचित होने की तारीख से यथास्थिति, अपने उपांतरित एवं बातिल रूप में ही प्रभावी होगा, फिर भी ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन की गयी पूर्ववर्ती किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. निरसन तथा व्यावृत्तियां — (1) अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 इस अधिनियम के तहत बने नियमावली एवं इसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाएँ अधिनियम के

प्रारंभ होने की तिथि से निरसित की जाती है।

परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम के अधीन और इसके अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रवृत्त बनाए गए सभी नियम, प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ एवं की गयी अन्य बातें, जहां तक इस नियम से असंगत न हो वहां तक वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए, प्रकाशित, प्रदत्त एवं की गयी समझी जायेंगी मानो यह अधिनियम इस तारीख को प्रवर्त्तन में था जब रितसित अधिनियम अधिनियमित हुआ था।

(2) अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए सभी नियम, स्कीम, किए गए आदेश एवं नियुक्ति, निर्गत किए गए सभी अधिसूचना, प्रमाण─पत्र, फारम या की गई कार्रवाई एवं बातें अथवा जिनका बनाया जाना, किया जाना, निर्गत करना तात्पर्यित हो वे सभी इस अधिनियम के अधीन उसी तरह बनाए गए, किए गए या निर्गत हुए माने जायेंगे

मानो यह अधिनियम उन सुसंगत तारीखों को प्रवृत्त था।

29. विधिमान्यकरण तथा छूट— (1) कोई निर्धारिती जो निरसित अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था, उसकी यह जिम्मेदारी इस अधिनियम के प्रवृत्त नहीं होने पर भी बनी रहेगी तथा वह इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के लिए जिम्मेवार माना जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(क) नियम दिन के ठीक पूर्व निरिसत किए गए अधिनियमों के अधीन विवरणी देने के लिए जिम्मेदार कोई निर्धारिती उस अवधि के रहते हुए भी जिसके संबंध में उसे ऐसा करना है. ऐसा नियत दिन को या इसके पूर्व विवरणी दाखिल करेगा तथा नियमत दिन के ठीक पूर्व बनाया गया इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर के संबंध में ऐसी विवरणी ऐसा नियत दिन के पश्चात् किसी भी दिन दाखिल करेगा तथा निरिसत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कर का भुगतान करेगा और अवधि के शेष भाग के लिए अलग से विवरणी देगा।

(ख) कोई निर्धारिती जो निरसित अधिनियमों के अधीन कर भुगतान करने का दायी नहीं है और जिसका लेखा रजिस्टर या कागजात निरसित अधिनियमों के अधीन जब्त है वह नियत दिन को या उसके पश्चात् भी निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार जब्त ही रहेगा.

(ग) निरिसत अधिनियमों अथवा एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित सभी फारम जो नियत दिन के ठीक पूर्व के दिन को ऐसे नियत दिन के प्रभाव से प्रवृत्त किए गए थे, वे प्रवृत्त बने रहेंगे तथा यथावश्यक परिवंतनों के साथ उनका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसे नियत दिन के पूर्व हो रहा था, जब तक होता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे फारमों का उपमोग ऐसे समय से जो इस निमित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, बंद करने का निदेश न दे।

(घ) निर्धारित दिन के पूर्व निरसित अधिनियमों के अधीन भुगतेय कर के संबंध में निरसित अधिनियमों या अतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारिती द्वारा किसी विहित प्राधिकार से अभिप्राप्त या अभिप्रात्य कोई विहित फारम अथवा उनके द्वारा की गयी या की जाने वाली कोई घोषणा विधिमान्य होंगे, जहाँ से सरकार नियत दिन को या इसके पश्चात ऐसा

विहित अभिप्राप्त है या ऐसा विहित फारम दिया गया है।

(ड) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन अथवा नियत दिन के पूर्व पारित आदेश किसी आदेश से उद्भूत निर्देश अथवा ऐसे नियत दिन के पूर्व किए गए कर निर्धारण से उद्भूत कोई अपील अथवा प्रत्यर्पण या विहित फारम के लिए कोई आवेदन ऐसे दिन के पूर्व किसी अवधि में निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए हैं और ऐसे नियत दिन को लंबित

है अथवा ऐसे नियत दिन को किए गए हैं तो उसका निपटारा निरसित अधिनियमों के

उपबंधों के अनुसार किया जायेगा,

(च) निरसित अधिनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकार अथवा कोई अन्य प्राधिकार जिसे उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा इस निमित शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं वह नियत दिन के पूर्व पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कर सकता है;

(छ) नियत दिन के पूर्व निरसित अधिनियमों के अधीन भुगतेय कर के संबंध में निरसित अधिनियमों के अधीन निर्धारित कोई कर या अधिरोपित शास्ति उक्त अधिनियमों के उपबंधों

के अनुसार भुगतेय या वसलनीय होंगे।

- 30. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या अन्यथा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो तथा कठिनाई को दूर करने के लिए जो उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।
- 31. निरसन तथा व्यावृत्तियां (1) झारखण्ड मनोरंजन कर अध्यादेश, 2012 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-02, 2012) एतद द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) परन्तु यह और कि उक्त अध्यादेश के अधीन और इसके अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रवृत्त बनाए गए सभी नियम, प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ एवं की गयी अन्य बातें जहां तक इस नियम से असंगत न हो वहां तक वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए , प्रकाशित, प्रदत्त एवं की गयी समझी जायेंगी मानो यह अध्यादेश इस तारीख को प्रवृत्त था जब निरसित अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

अनुसूची

धारा 3 की उप-धारा (2) देखें

क्र. सं.	मनोरंजनों का वि	मनोरंजन कर की दर		
1.	संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, छावनी पर्षद, नगर पर्षद, खान पर्षद क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत या यथागठित जनसंख्या के साथ सहपठित सिनेमा			
	की जनसमुदाय	श्रेणी	सप्ताह में शो की संख्या इससे अधिक नहीं	And the second
	5 लाख तथा इससे ऊपर	क क	18	सकल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत
	2.5 लाख से अधिक नहीं तथा 5 लाख तक	ख	16	सकल संग्रहण क्षमता का 11 प्रतिशत
	1 लाख से अधिक नहीं तथा 2.5 लाख तक	VET-SIX	12 10 office	सकल संग्रहण क्षमता का ८ प्रतिशत
	1 लाख से कम (A) SHOS (195)	व है है है		सकल संग्रहण क्षमता का 6 प्रतिशत

2.	विडियो प्रदर्शन की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा	
	(क) जहाँ सीटों कुल की संख्या 50 है	2000.00 रुपए प्रति माह
	(ख) जहाँ सीटों की कुल संख्या 50 से अधिक है	4000.00 रुपए प्रति माह
	(ग) जहाँ सीटों की संख्या 100 से अधिक है	7000.00 रुपए प्रति माह
3,	मल्टीप्लेक्स सिनमा कॉम्पलेक्स की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	the main of
	जहाँ सीटों की कुल संख्या 750 से अधिक नहीं हो।	40,000.00 रुपए प्रति सप्ताह
4.	केंबल टेलिविजन नेटवर्क की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 7.5 प्रतिशत
5.	डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा या इसी प्रकार की अन्य सेवा की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत
6.	इस अनुसूची में अन्यत्र किसी श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के सभी वर्ग तथा विवरण	प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत प्रति टिकट या प्रति माह के मान्य चिंतन के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत : जैसा भी
	and a figure	10 प्रातशत : जसा मा विषय हो

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 🖣 पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2012

संख्यां—एल०जी०—01/2012—79/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को अनुमत झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

[JHARKHAND ACT 13 OF 2012]

JHARKHAND ENTERTAINMENT TAX ACT, 2012

AN ACT to enact the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012 in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Be it enacted in the sixty three year of Republic of India-

Short title, extent and commencement – (1) This Act may be called the Jharkhand Entertainments Tax Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, direct.

2. Definitions - In this Act, unless there is anything repugnant in

the subject or context,-

(a) "Admission" means admission as a spectator or audience and admission for the purpose of amusement by taking part in any amusements to any place including residence/hotels/clubs etc., in which an entertainment is held;

(b) "Amusement park" means a place wherein various types of amusements including games or rides or both (but excluding exhibition by cinematograph and video exhibition) are provided fairly

on permanent basis, on payment for admission;

- (c) "Antenna" means an apparatus or equipments or devices which receives televisions signals or other electronic signals which enable viewers to tune into transmissions including national or international satellite transmissions and is erected or installed for exhibition of films or moving pictures or series of pictures, by means of transmission of television signals by wire or otherwise, where the subscribers set the TV at a residential or non-residential place, which are linked by metallic coaxial cable or optic-fibre cable to a central system called the head-end, on payment by the connection holder by any contribution or subscription or installation and connection charges or by activation charges or by rent or by security or by any other means collected in any manner with an intention to provide entertainment whatsoever;
- (d) "Assessee" means a person or the proprietor of an entertainment: who receives payment for entertainment(s) from any person or subscribers, whether by way of subscription, fixed charges, sponsorship charges, rate charges, admission charges, compounding

charges, lump-sum charges, rent, security or otherwise, and who is

liable to pay entertainment tax under this Act;

(e) "Cable Operator' means any person who provides Cable TV service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable service for a cable television network and includes any sub-cable operator or any such agent, who receives signals from the principal for onward distribution of cable television network.

(f) "Cable Service" means the transmission by cables or programmes including re-transmission by cable of any broadcast

transmission of television signals;

(g) 'Cable television network' means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal, generation control and distribution or transmitting equipment(s), designed to

provide service for reception by multiple subscribers;

(h) "Commissioner" for the purpose of this Act means the Commissioner of Commercial Taxes or Additional Commissioner of Commercial Taxes as appointed by the Government under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and includes any other officer appointed under Section 4 of Jharkhand Value Added Tax Act 2005 upon whom the State Government may by notification, confer all or any of the powers and duties of the Commissioner to carry out the purposes of this Act.

(i) "Complimentary ticket" means a pass or authority to enable a person or group of persons to secure admission to an entertainment

free of charge or at a reduced rate of payment for entertainment;

(j) "Compounding" means a payment of tax in form of a fixed amount or a fixed percentage of gross collection capacity or gross collection or lump-sum payment or contribution for any specified number of shows in a specified period, irrespective of actual number of exhibition/ shows which may be held during such specified period.

Explanation I — "Gross collection capacity or gross collection" in relation to cinematograph exhibition shall mean the gross amount calculated for total seating capacity or gross collection for the valuable consideration of the theatre/ cinema hall/ hall or any other such place where an entertainment is being carried on, which shall include the admission fees, tax calculated or such gross collection received on the basis of rate specified under sub-section (1) of Section 3 or otherwise, surcharge or such charges for any privilege, right, facility service or anything combined with the right of admission to any entertainment excluding maintenance charges as specified by "Urban Development Department" of Jharkhand.

(k) "Direct to Home (DTH) Service" means a system of distribution of multi channel television programmes by using a Satellite system by providing television signals through Antenna direct or any other similar devices to the subscriber's

premises/hotels/clubs, without passing through an intermediary such as cable service;

- (l) "Direct to Home (DTH) Service provider" means any person or proprietor or agency, who provide Direct to Home (DTH) Service, whether by means of "Set top boxes" or any such antenna or instruments or equipments or any other similar devices and includes the activation or renewal of such DTH service.
- (m) "Entertainment" includes any exhibition, performance, amusement, game shows or sports to which persons are admitted for payment, or in the case of television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable network attached to it or cable television network or Direct-to-Home (DTH) Service, for which persons are required to make payment by way of contribution or subscription or installation or rent or security and connection charges or by any other charges collected in any manner whatsoever; but does not include magic show and temporary amusement including games and rides;

For the purposes of this clause -

The expression "exhibition" includes any exhibition by cinematograph including video exhibition or television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable network attached to it, or cable television network as provided by the cable operator incidental to cable service(s);

Explanation – For the purpose of this provision, exhibition shall include exhibitions in **Multiplex Cinema Complex(s)**.

The expression "game" includes video games which are played with the aid of machine which is operated electronically or mechanically or electro-mechanically for the purposes of entertainment or otherwise and

The expression "temporary amusement" means the amusement rides and games which are not provided on fairly permanent basis like in: amusement park or melas or fair.

- (n) "Entertainment Tax" means a tax levied on "entertainment" under this Act.
 - (o) "Government" means State Government.
 - (p) "Month" means a calendar month;
- (q) "Multiplex Cinema Complex" means an entertainment cum cultural centre or a shopping mall; which provides minimum of three theatres with a minimum total seating capacity of 750; and with such other incidental and connected facilities, as specified by the Resolution of Urban Development Department of the State Government issued in this behalf from time to time;
- (r) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of the Government;
 - (s) "Payment for entertainment" includes -

(i) any payment made by a person who, having been admitted to one part of a place of an entertainment, and is subsequently admitted to another part thereof, for admission to which a payment involving a tax is required; or

(ii) any payment for valuable consideration for seats or other

accommodation in a place of entertainment; or

(iii) any payment for any purpose or valuable consideration whatsoever connected with an entertainment which a person is required to make as a condition of attending or constituting to attend the entertainment in a addition to the payment, if any for admission to the entertainment; or

(iv) any payment made by a person by way of contribution or subscription or installation or connection charges or valuable consideration or any other charge collected in any manner whatsoever for television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable network attached to it or cable television

network as provided by the cable operator; or

(v) any payment made by a person to the proprietor of a Direct to Home (DTH) service by way of contribution, subscription, installation or rent or security or activation charges or connection charges, or valuable consideration or any other charges collected in any manner whatsoever for Direct to Home (DTH) service with the aid of any type of set-top box(s) or any other instrument / equipment of like nature, or any other similar devices, which connects television set at a residential/ hotels/ clubs or non-residential place of a connection holder directly to the Satellite.

Explanation - For the purposes or this sub-clause any expenditure incurred by any co-operative housing society, residential complexes as valuable consideration or by the management of any factory, hotels, lodge, bar, permit room pub, or by a person or group of persons, for the purchase of any type of antenna or any other apparatus equipments for securing transmission through the cable network of cable television attached to it, for its members, or for workers or customers or for himself or themselves, as the case may be, shall be deemed to be the payment made under this sub-clause for the television exhibition with the aid of any type of antenna with cable network attached to it or cable television network an DTH service provider.

 (vi) any payment made by way of sponsorship or contribution amount for a programme which is organized only for invitees, without selling tickets;

- (t) "Period" means 'week' or the 'month' or the 'quarter' or the 'year' as and when applied for the purpose of this Act.
 - (u) "Person" includes:-
- (i) an Individual; (ii) a Joint Family; (iii) a Company;
- (iv) a Firm;
- (v) an association of persons or a body of individuals; whether incorporated or not;
- (vi) the Central Government or the State Government or the Government of any other State or Union Territory in India;
 - (vii) a local Authority or any Authority established under any law;
 - (v) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (w) "Prescribed Authority" means the authorities as appointed under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and as specified under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, to exercise and perform the powers and duties respectively conferred upon such authorities by or under the said Act, within the specified respective area(s) mentioned in the corresponding entries of the said notification and as prescribed to carry out the functions, duties and powers: in order to carry out the purposes of this Act.

(x) "Programme" means:-

- (i) Exhibition of films, features, dramas, advertisement, shows, events and serials, through any satellite channel or video cassette recorder or video cassette player or through Direct to Home (DTH) service;
- (ii) Any audio or visual or audio-visual live performance or presentation and the expression programme service shall be construed accordingly.
- (y) "Proprietor", in relation to an entertainment, means any person -
 - (i) responsible for the management thereof;
 - (ii) connected in whatsoever manner with the organization of the entertainment, for any duration whatsoever; or
 - charged or entrusted or authorized with the work of admission to the entertainment; or
 - responsible for, or for the time being in charge of, the management of an entertainment, whether or not he has obtained licence, if any, for a place of such entertainment under any law for the time being in force;

(v) responsible for, or for the time being in charge of, management of cable operator providing cable connections from any type of antenna or peripherals or cable television network;

Any person including an individual, firm, company or body corporate or association or body of individuals, artificial juridical person, partnership firm, body corporate or a company registered under the Companies Act, 1956, responsible for or for the time being in charge of, the management of any

entertainment or Multiplex Cinema Complex; or

Any person including by Government agencies or such companies registered under the Companies Act, 1956, and having licence to provide Direct-to-Home (DTH) Broadcasting service by the Government of India under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1985 and the Indian Wireless Telegraph Act, 1933.

- (z) "Quarter" means the quarter ending on the 30th June, 30th September, 31st December and 31st March
- (aa) "Schedule" means the schedule specifying the rate(s) of tax payable for the entertainment(s) and appended to this Act.
 - (ab) "Seat" includes standing accommodation;

(ac) "Set top box" means an apparatus or equipments connected to a television set at a residential or non-residential place, complex or residential complex which receives encrypted television signals through dish antenna from satellite directly and provides decrypted television signals to the television set, which enables the viewers to tune into multi channel television programmes on payment.

Explanation - For the purposes or this sub-clause any expenditure incurred by any co-operative housing society, residential complexes or by the management of any factory, hotels, lodge, bar, permit room pub, or by a person or group of persons, for the purchase of any type of antenna or any other apparatus equipments for securing transmission through the cable network of cable television attached to it, for its members, or for workers or customers or for himself or themselves, as the case may be, shall be deemed to be the payment made under this sub-clause for the television exhibition with the aid of any type of antenna with cable network attached to it or cable television network an DTH service provider.

(ad) "Sponsorship amount" means an amount paid (or value of goods supplied or services rendered or benefits provided) to the organizer of an entertainment programme by the sponsorer in lieu of advertisement of sopnsorer's product or shows or events or his brand name, etc

(ae) "State" means the State of Jharkhand.

- (af) "Subscribers" means a person who receives the television signal for the purpose of cable television network or for the purpose to Direct to Home (DTH) service or under any entertainment scheme.
 - (ag) "Tax" means 'Entertainment Tax' levied under this Act.
- (ah) "Ticket" or "Season Ticket" means a ticket issued by a proprietor of an entertainment for admission of a person or persons to an entertainment
- (ai) "Tribunal" means the Tribunal constituted under of Section 3 of Jharkhand Value Added Tax Act 2005;
- (aj) "Valuable consideration" means any cash or deferred payment and includes payment for entertainment -
 - (i) made by a person by way of contribution or subscription or rent or security or installation connection charges or any other charges collected in any manner whatsoever for television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable television network attached to it or cable service.
 - (ii) made by a person to the proprietor of a Direct to Home (DTH) Broadcasting service by way of contribution, subscription, installation or rent or security or activation charges or connection charges, or any other charges collected in any manner whatsoever for Direct to Home (DTH) Broadcasting service with the aid of any type of set top box or any other instrument of like nature, which connects television set at a residential or non-residential place of a connection holder directly to the Satellite.

Provided that any person liable to pay tax under this Act, shall maintain a register showing the number of connections provided, names and addresses of subscribers, amount of payment made by subscribers every month, number of channels exhibited to subscribers and connection charges collected in any manner.

- (ak) "Week" means the day commencing from Wednesday.
- (al) "Year" means a financial year

Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the Cinematograph Act 1952, Cable Television Networks (Regulation) Act 1995, The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, Indian Telegraph Act, 1985, the Indian Wireless Telegraph Act, 1933, and Jharkhand Value Added Tax Act 2005: The Rules and the Notifications made/ issue under the said Acts.

3. Incidence of entertainment tax - (1) Save as provided in subsection (2), there shall be levied and paid to the State Government by an assessee: a tax on the entertainment at the rate(s) as specified in the notification issued under this Act.

Provided that the State Government may specify different rate or rates of entertainment tax in respect to different categories of the entertainments for the different specified periods and for different specified areas.

Provided further that the rate of entertainment tax shall not exceed thirty percent of the value of gross collection /admission charge(s) / subscription(s) / contribution(s) / rent / security / sponsorship / activation charges or by any other valuable consideration(s) received or receivable for providing entertainment(s).

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), entertainment tax shall be levied in relation to cinematograph exhibition on the proprietor of an entertainment at compounded rate(s)

as specified in the schedule.

Provided that the State Government may specify different rate or rates of tax in respect to the different specified areas and for different specified periods.

Provided further the State Government may specify different rates in relation to the separate units of Multiplex Cinema Complex, depending upon their respective sitting capacity.

- 4. Assesses to collect entertainment tax from persons admitted to entertainment. Save as provided under sub-section (2) of Section 3 of this Act, every assessee shall be entitled to collect, from persons admitted to the entertainment(s), an amount equal to the entertainment tax payable in respect to the valuable consideration of tickets or complimentary tickets or the sponsorship amount.
- 5. Payment of tax Subject to the provisions of this Act and such rules as may be prescribed, entertainments tax shall be payable by every assessee for the following class of entertainments—

(i) for the cinematograph exhibition falling under sub-section (2)

of Section 3, before commencing of the week;

- (ii) for the video exhibition falling under sub-section (2) of Section 3 read with serial number 2 of the schedule, before commencing of the month;
- (iii) for the Multiplex Cinema Complex exhibition falling under sub-section (2) of Section 3 read with serial number 3 of the schedule, before commencing of the week;
- (iv) for the sponsored programmes falling under clause (x) and
 (ad) of Section 2, before commencement of such sponsored programmes;
- (v) for the cable operators, operating cable television network and Direct-to-Home Service Provider, and all other descriptions of entertainment falling under sub-section (2) of Section 3 read with

serial number 4, 5 and 6 of the schedule: by 7th day of the month after the expiry of the respective month.

Explanation - If the specified date happens to be holiday, the

next working day shall be treated to be the payment day.

- 6. Registration of proprietors of entertainment (1) No assessee / proprietor of any entertainment shall, while being liable to pay the entertainments tax under this Act, carry on the entertainments, unless such assessee / proprietor has been registered under this Act in the prescribed manner and possesses a registration certificate.
- (2) Every assessee/proprietor required by sub-section (1) to be registered, shall make an application in this behalf in the prescribed manner to the prescribed authority.
- (3) On receipt of an application, the prescribed authority shall, if he is satisfied that the application is in order, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed form,
- (4) When an assessee / proprietor of an entertainment in respect of which a certificate of registration has been granted under sub-section (3) has discontinued or closed down his business as such assessee / proprietor, the prescribed authority shall cancel the registration with effect from the date of such discontinuance.
- 7. Security (1) Subject to such rules, as may be prescribed, the prescribed authority may require the assessee / proprietor of an entertainment to deposit as security an amount not exceeding and total entertainments tax chargeable for the full fortnight as calculated with reference to the number of exhibitions;

Provided that the said authority may -

- (i) vary the amount of security form time to time if he considers this to be necessary;
- (ii) forfeit the security in whole or part if the returns are not furnished on the due date along with the receipt for the payment of the tax in respect of admission otherwise or if the returns are found to be incorrect and false.
- (iii) adjust in the event of default, the amount of the arrears of entertainments tax due or penalty, if any, from the amount of security and direct the assessee / proprietor to make good the amount of security before the tax for the next fortnight falls due.
- 8. Admission to entertainment (1) Save as otherwise provided in this Act, no person, other than a person who has some duty to perform in connection with the entertainment, or a duty imposed upon him by or under this Act or any other law, shall be admitted to any entertainment in respect of which entertainment tax is payable under section 3 except with a ticket or complimentary ticket.

- (2) The State Government shall, by a notification Published in the official gazette, specify the places of entertainment for the purposes of sub-section (1):
- (3) Nothing contained in sub-section (1) or (2) shall apply to an entertainment where entry is regulated by any mechanical contrivance used for the purpose of revenue under this Act.
- 9. Entertainments exempted from payment of tax.-(1) The State Government may, subject to such conditions and restrictions, exempt from levy and payment of entertainment tax, on any entertainment where the State Government is satisfied-
- (a) that the entire gross proceeds of the entertainment are devoted to philanthropic, religious or charitable purposes with or without any charge on such proceeds for any expenses of the entertainment; or
 - (b) that entertainment is of a wholly educational character; or
- (c) that the entertainment is provided for purposes which are partly educational cultural or scientific by any person not conducted or established for valuable consideration; or
- (d) that the entertainment is provided by an institution not conducted for profit and established solely for the purpose of promoting the public health or the interests of agriculture or of a manufacturing industry and consists solely of an exhibition of articles which are of material interest in connection with question relating to public health or agriculture, or of the products of the industry for promoting the interests of which the institution exists or of the materials, machinery, appliances or foodstuffs used in the production of those products.
- (e) that the entertainment is provided for any other purposes which the State Government may think proper in the public interest."
- 10. Power of Government to amend the schedules The Government may, by notification, add to or delete or amend or alter any rate(s) as specified in the Schedule.
- 11. Exhibition of the hours of entertainments and posting of tables of rates of payment for entertainments at conspicuous places The assessee / proprietor of an entertainment shall, in the prescribed manner, communicate to the prescribed authority the hours of commencement and termination of entertainment or its temporary suspension or closure and shall exhibit at conspicuous place of the premises the rates of payments for and the amount of the entertainments tax due on such payments.

- 12. Submission of returns and recovery of entertainments tax '-(1) Every assessee/ proprietor of an entertainment shall furnish true, complete and correct returns by such dates and to such authority as may be prescribed.
- (2) If the assessee / proprietor without any reasonable cause, fails to furnish any return within the prescribed date, the prescribed authority may direct that such assessee / proprietor shall, by way of penalty, pay a sum not exceeding twenty rupees for every day, after the prescribed date during which the assessee / proprietor fails to submit the prescribed return.
- (3) Before the assessee / proprietor furnishes the return required by sub-section (1), he shall, pay into a Government treasury in the prescribed manner, the full amount of such tax, and shall furnish, along with the return, receipt from such Treasury showing the payment of such amount.
- (4) Where the assessee / proprietor fails to make payment of the entertainment tax due according to the return furnished under subsection (1) of this Section within the prescribed period, without prejudice to any action which is or may be taken under clause (b) of sub-section (1) of Section 24, the prescribed authority shall after giving such assessee / proprietor an opportunity of being heard, impose a penalty which may extend to three percentum of the amount of tax for each of the first three months or part thereof following the due date and to six percentum for each subsequent, month or part thereof.
- (5) Any penalty imposed under sub-sections, (2), (5) or (6) shall be with out prejudice to any punishment that may be imposed under Section 24.
- (6) Any amount of tax or penalty which remains unpaid under this Act or any sum required to be paid under Section 3, which remains unpaid after the due date, shall be recoverable as an arrear of land revenue;
- (7) When the ownership of an entertainment is entirely transferred, the transferee shall be liable to pay any tax and penalty payable in respect of such entertainment and remaining unpaid at the date of the transfer and the transferee shall, within thirty days of the transfer, apply for registration under section 6.
- 13. Assessment of Tax (1) Assessment of the tax payable by an assessee / proprietor shall be made after examining the accounts or registers and other evidences as the prescribed authority may require.
- (2) In case an assessee / proprietor does not furnish any return or fails to produce accounts for assessment as required under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving the assessee / proprietor

a reasonable opportunity of being heard, assess the amount of tax payable by such assessee / proprietor, to the best of his judgment.

(3) If the prescribed authority, in course of an assessment proceeding and before such assessment, is satisfied that the assessee / proprietor concealed the particulars of the sale of tickets including the complimentary tickets, or the realisation of the entertainments tax or has furnished inaccurate particulars of such sales or realisations with intent to defraud the State Government of its revenues, the prescribed authority may direct that in the addition to the amount of the entertainments tax and penalty, if payable by the assessee / proprietor, a sum not exceeding one and a half times the amount of the tax which would have been avoided if the concealment had not been discovered or the particular by the assessee / proprietor had been accepted as true shall be paid by the assessee / proprietor by way of penalty.

(4) If the prescribed authority, upon information which has come into his possession, is satisfied that the assessee / proprietor has been liable to pay tax under this Act in respect of any period, and has nevertheless failed to apply for registration under section 6 or having so applied failed to comply with any requirement for registration within a reasonable time and for which his application for registration has been rejected such prescribed authority shall, after giving the assessee / proprietor an opportunity of being heard, assess the amount of tax to the best of his judgment in respect of such period and shall also impose a penalty which shall be equal to the amount of tax

assessed.

14. Escaped assessment and Audit observation- (1) If upon information which has come into his possession the prescribed authority is satisfied that reasonable grounds exist to believe that any payment for admission to an assessee / proprietor in respect of any period, has, for any reason, escaped assessment or any payment for admission of any such person or assessee / proprietor assessed under sub-section (1) of section 13 has been under assessed the prescribed authority shall, after giving such an assessee / proprietor an opportunity of being heard, by an order in writing re-assess the tax payable by such assessee / proprietor within eight years of the expiry of such period;

Provided that if the prescribed authority is satisfied that such assessee / proprietor has concealed, omitted or failed to disclose willfully the particulars of such payment for admission or has furnished incorrect particulars and thereby he returned figures below the real amount, the prescribed authority, without prejudice to any action which is or may be taken under section 24, shall direct that the assessee / proprietor shall, in addition to any tax re-assessed, pay by way of penalty a sum not exceeding three times but not less than an

amount equal to the amount of tax which is assessed on the amount of payment for admission escaped.

(2) Where an observation has been made by the Comptroller and Auditor-General of India, in respect of an assessment or re-assessment made, and the prescribed authority is satisfied with the said observation, he shall proceed to re-assess the assessee with respect to whose assessment or re-assessment, as the case may be, the said observations has been made.

Provided that no order under this section shall be passed without giving the assessee an opportunity of being heard.

- 15. Special mode of recovery.-(1) Notwithstanding anything contained in section 12 or any law or contract to the contrary, the prescribed authority may, at any time to time, by notice in writing (a copy of which shall be forwarded to the proprietor at his last address known to the prescribed Authority require.-
- (a) any person from whom any money is due or may become due to a proprietor who has failed to pay by the due date, in accordance with a notice of demand served upon him the fixed sum permitted to be paid under sub-section (2) of section 3, or the amount of entertainment tax or penalty or both payable by him under the provisions of the Act or rules made thereunder, or
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such proprietor,
- to pay into the Government treasury in the manner specified in the notice issued under this sub-section either forthwith or upon the money becoming due or at or within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or it is held), so much of the money as is sufficient to pay the fixed sum permitted to be paid under sub-section (4) of Section 3, or the amount of entertainment tax due from the proprietor or penalty or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.
- (2) The authority issuing a notice under sub-section (1) may at any time or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice.
- (3) Any person making any payment In compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the proprietor and the receipt from the Government treasury shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the extent of the amount specified in the receipt.
- (4) Any person discharging any liability to the proprietor after service on him of the notice issued under sub-section (1) shall be personally liable to the State Government to the 'extent of the liability discharged

or to the extent of the proprietor for the fixed sum permitted to be paid under sub-section (2) of Section 3, or entertainments "tax or penalty or both, whichever is less,

(5) Where a person on whom a notice is served under sub-section (1) proves to the satisfaction of the authority who issued the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the proprietor or that he did not hold any money for or on account of the proprietor at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof likely to become due to the proprietor or be held for or on account of the proprietor, nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay into the Government treasury any such money or part thereof as the case may be.

(6) Any amount of money which a person is required to pay under sub-section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4) shall, if it remains unpaid, be

recoverable as an arrear of land revenue.

- (7) No action shall be taken under this section in respect of any amount of entertainment tax or penalty or both, the realisation of which has been stayed by an appellate authority under the proviso to sub-section (8) of Section 12, on an appeal by a proprietor under section 7.
- 16. Applicability of the provisions of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05 of 2006) and Rules made thereunder: -Subject to other provisions of this Act and Rules framed thereunder the authority empowered to assess, reassess, collect and enforce payment of tax, interest and penalty payable by a dealer under the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05 of 2006) shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, interest and penalty payable under this Act and for this purpose they may exercise all for any of the powers assigned to them under the said Act and Rules made thereunder for the time being in force including the provisions relating to returns, assessment, escaped assessment, limitation, recovery of tax, grant of installment for the payment of the dues taxes and penalties thereof in respect to the repealed Act, interest and penalty, special mode of recovery, maintenance of accounts, inspection, search and seizure, liability in representative character, refund, appeal, revision and reviews, compounding offences and other miscellaneous matters and the provisions of the said Act shall mutantis mutandis apply accordingly.
- 17. Refund in certain cases- Where the State Government is satisfied that the whole of the net proceeds of an entertainment are devoted to philanthropic, religious or charitable purposes, and that in calculating

the net proceed, not more than twenty per centum of the gross proceeds have been deducted on account of the expenses of the entertainment, the amount of the entertainments tax paid in respect of such entertainment shall be refunded to the assessee / proprietor in the prescribed manner.

18. Entry into and inspection of places of entertainments.-(1) (a) Any officer authorized by the State Government in this ,behalf may enter into, inspect and search any place of entertainment while the entertainment is proceeding, or any place ordinarily used as a place of entertainment at any reasonable time, for the purpose of seeing whether the provisions of this Act or any rules made thereunder are being complied with.

(b) Every officer so authorised shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (XLV of

1860).

- (c) Every officer so authorised may also enter any place where the tickets for admission to an entertainment or counterfoils thereof are kept or any accounts, registers or other documents relating to an entertainment are kept or maintained and may search at any reasonable time any such place or office or any box or receptacle in which any such tickets, counterfoils, accounts, registers or other documents, are kept and may inspect such tickets, counterfoils, accounts, register or other documents, if he has reason to suspect that attempt is being or has been, made to evade payment of any tax, and may, for reason to be recorded in writing, seize such tickets, counterfoils, accounts, registers and other documents. and shall grant a receipt for same and such seized tickets, counterfoils, accounts, registers, or the other documents shall be retained so long as may be necessary for the examination thereof or for a prosecution and shall thereafter be returned to the assessee / proprietor.
 - (d) The officers so authorised shall have power to break open any box or receptacle in which any tickets, counterfoils, accounts, registers or other documents relating to any entertainment may be contained or to break open the door of any premises where any such tickets, counterfoils, registers accounts or other documents may be kept if the assessee / proprietor or any other person in occupation of the said premises fails or refuses to open the door or the box or receptacle on being called upon to do so.
 - (2) The assessee / proprietor of every entertainment or the owner or person in charge of any place ordinarily used as a place of entertainment shall give every reasonable assistance to the inspecting officer in the performance of his duties under sub-section (1).

- (3) If any person prevents or obstruct the entry of the inspecting officer, he shall, in addition to any other punishment to which he is liable under any law for the time being in forge, be punished with fine which may extend to two thousand rupee.
- 19. Production and inspection of accounts and documents (1) Subject to such rules as may be prescribed, the prescribed authority may, either before or after assessment, require any assessee / proprietor to produce before it any accounts, registers or documents to furnish any information relating to financial transactions of the assessee / proprietor in respect of his entertainments including transactions with the producer or distributor of films, printing of tickets including complimentary tickets, sales of tickets including complimentary tickets and realisation of payment for admission or entertainments tax, the profit derived from the entertainments as may be necessary for the purpose of this Act and assessee / proprietor shall comply with such requirements.
- (2) All accounts, registers, documents and tickets mentioned in subsection (1) shall, at all reasonable times, be open to inspection by the prescribed authority, which may take or cause to be taken such copies of or extracts from the accounts, register or documents as it may consider necessary.
- 20. Restriction on collection of tax.-(1) No assessee / proprietor, who does not hold certificate of registration granted under sub-section (3) of section 6 shall collect from any person any amount, by whatever name or description it may be called, towards or purporting to be taxed on admission to an entertainment.
- (2) No ,registered assessee / proprietor shall collect from any person any such amount except in a case in which and to the extent to which such assessee / proprietor is liable to pay tax under sub-section (1) of Section 3.
- (3) If any person or registered assessee / proprietor contravenes the provisions of sub- section (1) or sub-section (2) the prescribed authority shall, after giving an opportunity of being heard by an order in writing direct that such person or registered assessee / proprietor shall pay by way of penalty, a sum equal to twice the amount collected in contravention of the provisions of the said sub-sections (1) and (2).
- 21. Bar of jurisdiction.-Save as provided in Section 22 no order passed under this Act shall be called in question in any court.

- 22. Statement of cases to High Court.-(1) Within ninety days from passing by the Tribunal of any order under appeal, the assessee in respect of whom the order has been passed or the Commissioner, may by application in writing together with a fee of one thousand rupees, where such application is made by the assessee, require the Tribunal to refer to the High Court any question of law arising out of such order.
- (2) If, for reasons to be recorded in writing the Tribunal refuses to make such reference, the applicant may, within forty five days of such order, either-
- (a) withdraw his application (and if the applicant who does so, is an assessee the fee paid by him shall be refunded); or (b) apply to the High Court against such refusal.
- (3) If upon the receipt of an application under clause (b) of sub-section (2) the High Court is not satisfied that such refusal was justified it may require the Tribunal to state a case and refer it to the High Court and on receipt of such requisition the Tribunal shall state and refer the case accordingly.
- (4) If the High Court is not satisfied that the statements in a case referred under this section are sufficient to enable it to determine the question raised thereby, it may refer the case back to the Tribunal to make such additions thereto or alterations therein as the court may direct in that behalf.
- (5) The High Court upon hearing of any such case shall decide the question of law raised thereby, and shall deliver its judgment thereon containing the grounds on which decision is founded, and shall send to the Tribunal a copy of such judgment under the seal of the court and the signature of the Registrar, and Tribunal shall where necessary, amend its order in conformity with such judgment.
- (6) Where a reference is made to the High Court under this section the costs including the disposal of the fee referred to in sub-section (1) shall be in discretion of the court.
- (7) The payment of the amount of tax including penalty, if any, due in accordance with the order of the Tribunal in respect of which an application has been made under this section shall not be stayed pending the disposal of such application or any reference made in the consequence thereof.
- (8) The Tribunal or the High Court may admit an application under this section after the expiry of the period of limitation provided in this section, if it is satisfied that the applicant had sufficient cause for not presenting application within the period.

- 23. Prohibition against re-sale of tickets or complimentary tickets for profits-Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, 1882 a ticket or a complimentary ticket shall not be re-sold by any person.
- 24. Offences and penalties.- (1) If any assessee / proprietor of an entertainment-
- (a) admits any person for payment to any place of entertainment in contravention of the provision of Section 8; or
- (b) fails to pay the tax due from him within time prescribed; or
- (c) fraudulently evades the payment of any tax due under this Act;
- (d) obstructs any officer making an inspection, a search or seizure under section 18 or 19; or
- (e) contravenes any other provision of this Act or the rules made thereunder or any order or direction made under any such provisions or rules, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to six months, and with fine up to one thousand rupees:

Provided that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974) all offences as described in clauses (a), (b) and (e) of this sub-section shall be cognizable and all offences as described in clauses (c) and (d) of this sub-section shall be cognizable and non-bailable.

- (2) If any person, other than the assessee / proprietor of an entertainment, contravenes the provision of section 23, he shall be punishable with a fine with may extend to one thousand rupees.
- (3) No Court shall take cognizance of an offence under this Act or under the rules made thereunder except with the previous sanction of the prescribed authority and no Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any such offence.
- 25. Power to compound offences. (1) The prescribed authority may either before or after the institution of proceeding under section 24 accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under sub-section (1) or sub-section (2) of the said section, by way of composition of such offence-
- (a) where the offence consists of the failure to pay, or the evasion of any tax payable under this Act, a sum of money not exceeding double the amount of the tax so payable; and
- (b) in other cases, a sum of money not exceeding two thousand rupees.

- (2) On payment of such sum of money as may be determined by the prescribed authority under sub-section (1), the prescribed authority shall, where necessary, report to the Court that the offence has been compounded and thereafter no further proceeding under section 12 shall be taken against the offender in respect of the same offence.
- 26. Bar of certain proceedings.-(1) No prosecution shall lie against any officer or servant of Government for any act done or purporting to be done under this Act, without the previous sanction of the State Government.
- (2) No officer or servant of the Government shall be liable in respect of any such act in any civil or criminal proceeding if the act was done in good faith in the course of the execution of duties or the discharge of functions imposed by or under this Act.
- 27. Powers to make rules (1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for the fees payable in respect of any applications to be made, forms to be supplied, certificates to be granted and appeals and applications for revision to be made under this Act and and grant of installment for the payment of the due taxes and penalties under the provisions of the repealed Act, and also any applications for certified copies of documents filed and orders made under this Act.
- (3) Every rules made under this Act shall within six months after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State if it is in session and if it is not in session, in the session immediately following for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or in the annulment of the rule, the rule shall, from the date on which the modification or annulment is notified, have effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- 28. Repeal and saving.- (1) The Bihar Entertainments Tax Act, 1948, Rules made thereunder and Notification issued thereunder and as adopted in the State of Jharkhand is hereby repealed from the date of commencement of this Act.

Provided that nothing in this repeal shall effect any liability to any entertainments tax incurred before the date of such repeal and proceedings pending on the said date before any competent authority and also all proceedings instituted after the commencement of this Act but relating to any such liability as aforesaid shall be continued and disposed of or instituted and disposed of, as the case may be, as if this Act had not been passed.

Provided further that all rules made, notifications published, powers conferred and other things done under the said Act and in force on the commencement of this Act shall; so far as they are not inconsistent with this Act, be deemed to have been respectively made, published, conferred or done under this Act, as if this Act, were in operation from the date when the repealed Act were enacted.

- (2) All rules, schemes, orders and appointments made, notifications, certificates, form issued or actions taken and things done or purported to have been made, issued, taken or done for achievement of objects under the Act shall be deemed to have been made, issued taken or done under this Act, as if this Act were in force on the relevant dates.
- 29. Validation and Exemption: (1) An assessee who would have continued to be so liable to pay tax under the repealed Act, had this Act not come into force, shall be deemed to be liable to pay tax under this Act as per the schedule appended to this Act.
 - (2) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act -
- (a) Any assessee liable to furnish return under the repealed Acts immediately before the appointed day shall notwithstanding that a period, in respect of which he is so liable to, furnish return, commences on and day before such appointment day and ends on any day after such appointed day, furnish such return in respect of tax payable under this Act made up to the day immediately before such appointed day and pay tax in accordance with the provisions of repealed Act and shall furnish a separate return in respect of the remaining part of the period.
- (b) Any assessee, who is no longer liable to pay tax under the repealed Acts and whose account, registers or documents has been seized under the repealed Acts, shall continue to be retained in accordance with provision of the repealed Acts on or after appointed day;
- (c) All prescribed forms under the repealed Acts or the rules made there under and continuing in the force on the day immediately before the appointed day shall, with effect from such appointed day, continue in force and shall be used mutates mutandis for the purpose for which they were being used before such appointed day until the

State Government directs, by notification, the discontinuance of the use of such forms till such time as the State Government may, by notification, specify in this behalf;

(d) Any prescribed form obtained or obtainable by the assessee from any prescribed authority or any declaration furnished or to be furnished by or to the assessee under the repealed Acts or the rules made thereunder in respect of tax payable under the repealed Acts, before the appointed day shall be valid where such prescribed form is obtained or such prescribed form is furnished on or after such appointed day;

(e) Any application for revision, review or reference arising from any order passed before the appointed day or any Appeal arising from any assessment of tax made before such appointed day or any application for refund, or for prescribed form, in respect of any period before such appointed day, under the repealed Acts if made before such appointed day and pending on such appointed day or if made on or such appointed day, shall be disposed or in accordance with the provisions of the repealed Acts;

(f) The specified authority under the repealed Acts or any other authority to whom power in this behalf has been delegated by the said specified authority under the repealed Acts may on its or his own motion, review or revise any order passed before the appointed day in

accordance with the provision of the repealed Acts;

(g) Any tax assessed or penalty imposed under the repealed Acts in respect of the tax payable under the repealed Acts, before the appointed day, shall be payable or recoverable in accordance with the provisions of the repealed Acts.

30. Power to remove difficulties - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may by notification or otherwise, make such provisions, not inconsistent with this Act, as appears to them to be necessary or expedient for removing the difficulty.

31. Repeal and saving. (1) The Jharkhand Entertainment Tax Ordinance, 2012 (Jharkhand Ordinance No. 02, 2012) is hereby

repealed.

(2) Nothwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken on exercise of the powers conferred by or under this Act as of this Act were in force on the date on which such thing was done or action taken.

Vicin total number of scals not

SCHEDULE

(See Sub-Section (2) of Section 3)

SI. No.	Descriptions of the Entertainments			Rate of entertainment tax
1.	For cinematograph exhibition read with the population of respective Municipal Corporation, Municipality, Notified Area Committee, Cantonment Board, Town Board, Mines Board, Municipal Board, Urban Area and Gram Panchayat or any other such areas as constituted -			
	Population of:-	Category	No. of weekly shows not exceeding	
	5 lacs and above	A	18	16% of gross collection capacity
	Exceeding 2.5 lacs and upto 5 lacs	В	16	11% of gross collection capacity
	Exceeding 1 lac and upto 2.5 lacs	C	12	8% of gross collection capacity
	Less than 1 lac	D	10	6% of gross collection capacity
2.	Class & Description of the entertainment falling under video exhibition -			
	(a) Where total number of seats is up to 50.			Rs. 2000.00 Per month
	(b) Where total number of seats is more than 50			Rs. 4000.00 Per month
	(c) Where total number of seats is more than 100			Rs. 7000.00 Per month
3.	Class & Description of the entertainment falling under Multiplex Cinema Complex -			
	Where total number of seats not exceeding 750.			Rs. 40,000.00 Per week

4.	Class & Description of the entertainment falling under Cable Television Network -	7.5% of total- gross collection for valuable consideration per month
5.	Class & Description of the entertainment falling under Direct-to-Home (DTH) Service or any other similar service -	10% of total gross collection for valuable consideration per month
6.	All such Class and Description of the entertainment not falling elsewhere in this Schedule -	10% per ticket or 10% of sponsorship amount or 10% of the gross collection for valuable consideration per month: as the case may be

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव—सह—विधि परामशी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।